

कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी, जिला कलेक्टर, दौसा
श्री ज्यालीराम मीना पुत्र श्री मूलचंद मीना ग्राम पोस्ट कौलाना, तहसील बसवा जिला
दौसा (राजस्थान)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर), दौसा वगै०

अपील सं० 49/2018



निर्णय

दिनांक 08.10.2018

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि अपीलांत द्वारा लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर), दौसा से दिनांक 01.08.2018 को सूचना/नकल हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलांत को वॉछित सूचना/नकल निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं हुई। इसी से पीडित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। लोक सूचना अधिकारी, (अति० जिला कलेक्टर), दौसा व उपखण्ड अधिकारी, महवा को आवेदन पत्र की छाया प्रति प्रेषित कर संबंधित को वॉछित नकल/सूचना उपलब्ध करवाई जाकर जाँच टिप्पणी मँगवाई गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलेक्टर), दौसा द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र उपखण्ड अधिकारी, महवा को उनके पत्रांक आरटीआई/2018/720 दिनांक 03.08.18 से वॉछित सूचना उपलब्ध करवाने हेतु सूचना का अधिकारी अधिनियम-2005 की धारा 6 (3) के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया तथा उसकी सूचना आवेदक को भी पृष्ठांकित की गई। किंतु आवेदक को वॉछित सूचना प्राप्त नहीं होने पर इस कार्यालय द्वारा पत्रांक डीएम/कोर्ट/2018/5064 दिनांक 10.09.18 द्वारा लिखा गया एवं पुनः स्मरण पत्र डीएम/कोर्ट/2018/5212 दिनांक 25.09.18 जारी किया गया। किंतु बावजूद स्मरण-पत्र उपखण्ड अधिकारी, महवा की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट होता है कि अपीलांत द्वारा चाही गई सूचना/नकल लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्र की सूचना संबंधित व्यक्ति को 30 दिवस की समयावधि में उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, महवा जिला दौसा को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलांत को वॉछित सूचना/नकल आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करावें। संबंधित को निर्णय प्रति प्रेषित करें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(नरेश कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा